न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश जोशी
आर.ए.एस.

मिसल संख्याः	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
184 / अपील / 2016	02.11.2016	23.09.2019

हीरा आ. रामदेव जाति बैरवा निवासी बोरदा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राजस्थान) – अपीलांट

– बनाम –

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी (राज0) – रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 30.09.2016
तहसीलदार, नैनवां
अन्तर्गत धारा 91 रा0 भू राजस्व अधिनियम
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :–
अपीलांट की ओर से – श्री विशाल सनाढ्य, अभिभाषक।
रेस्पोडेन्ट की ओर से – पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

यह अपील तहसीलदार, नैनवां द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2016 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 462 रकबा 03 बीघा किस्म चरागाह वाके ग्राम बोरदा तहसील नैनवां का अतिचारी मानते हुये बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी, 150/– रूपये एवं 90 दिन सिविल कारावासं की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व पेरोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश वस्तु स्थिति, विधान एवं प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट का जिस भूमि पर अधीनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमण माना है वह गलत है। वास्तव में यह भूमि अपीलान्ट के पिता रामदेव को आवंटित की गई थी। आवंटन के पश्चात् रामदेव और रामदेव की मृत्यु होने के

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

पश्चात् उसके वारिसान का लगातार कब्जा काश्त है। अपीलान्ट इस भूमि के वास्तविक खातेदार है। अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। विवादित भूमि खसरा नं. 462 अपीलान्ट के पिता दिनांक 07.05.1965 को आवंटन हुई थी। लगातार अपीलान्ट के पिता व उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त विवादित भूमि का उपखण्ड अधिकारी, नैनवां के न्यायालय में वाद चला था जिसका निर्णय अपीलान्ट के पक्ष में हो चुका था तथा अपीलान्ट खातेदार घोषित हो चुके है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.09.2016 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार–सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्ट ने राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्ट को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्ट ने खातेदारी के संबंध में मात्र न्यायालय के निर्णय की प्रति पेश की है। राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी, नामा. आदि पेश नहीं किये है। जिससे अपीलान्ट खातेदार होना साबित होता हो। अपीलान्ट ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह चरागाह भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने यह भी निवेदन किया है कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर न्यायालय द्वारा खातेदार कृषक घोषित हो चुका है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है जो बाद तामील पत्रावली में शामिल है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्ट को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलाधीन निर्णय व पटवारी रिपोर्ट व बयान में अंकित है तथा गत वर्ष बेदखल किये गये निर्णय व फर्द भौतिक रूप से बेदखल किये गये कि प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। जिससे अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है। अपीलान्ट ने खातेदार होने बाबत् जमाबन्दी व नामा. की प्रति पेश नहीं की है। जिससे अपीलान्ट को खातेदार कृषक नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट विवादित भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है तथा अपीलान्ट ने राजकीय

जिला कलक्टर
(राज०)

A 6/3

चरागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है। अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)